न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 06 / 2023

अपीलान्ट — **बनाम** — **रेस्पोडेन्ट्स**

परसाराम पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रूण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

1 रूकमा पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रूण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

2 शोभा पत्नि भंवरलाल (फौत होने से दिनांक 11.02.26 को स्ट्राईक आउट किया गया)

3 सुवा पुत्री भंवरलाल 4 कमला पुत्री भंवरलाल 5 शिवप्यारी पत्नी बंशीलाल 6 रामगोपाल पुत्र बंशीलाल 7 ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल 8 रामस्वरूप पुत्र बंशीलाल 9 मोडाराम पुत्र बंशीलाल 10 पन्नालाल पुत्र बंशीलाल जातियान ब्राह्मण निवासीगण रूण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसील मुण्डवा, जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 11 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 21.04.2026

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील मुण्डवा के मौजा रूण के नामान्तरकरण सं. 7544 निर्णय दिनांक 12.07.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 30.01.2023 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास, अधिवक्ता ने दिनांक 14.11.23 को वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 30.10.25 को उनकी तरफ से No Instruction Plead किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 03 से 10 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है तथा रेस्पोडेंट संख्या 11 की ओर से श्री आमेप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा रूण के नामान्तरकरण संख्या 7544 दिनांक 12.07.22 की फोटोप्रति, मौजा रूण की जमाबंदी संवत 2076 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि मामला हाजा में प्रार्थी ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर रखी थी, जिसके विचारण रहने से प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं हुई, दिनांक 04.01.2023 को अपीलांट प्रार्थी ने जमाबंदी ग्राम रूण की खसरा नम्बर 3150, 3178, 3196 की नकल प्राप्त की तब म्यूटेशन संख्या 7544 दिनांक 12.07.2022 के स्वीकृत होने की जानकारी तब म्यूटेशन की यह नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अपीलांट व रेस्पोडेंटान संख्या 1 से 11 ग्राम रूण तहसील मुण्डवा के स्थायी निवासी है। ग्राम रूण में हाल खसरा नम्बर 3196 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 3150 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3178 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा के बाबत् रेस्पोडेंट संख्या 1 रूकमा ने एक राजस्व वाद संख्या 211 / 2003 का सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. नागौर के समक्ष पेश किया जिसमें अस्पष्ट व विधि विरुद्ध निर्णय होने से अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील

21/4/26

अपर कलक्टर, नागौर

विचाराधीन रही। उक्त प्रकरण की एक अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा भी निर्णित की गई, जिससे राजस्व वाद 211/2003 का निर्णय दिनांक 31.10.2011 को अपास्त किया जा चुका था। तत्पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डवा ने म्यूटेशन संख्या 7544 दिनांक 12.07.2022 को स्वीकृत कर रूकमा पत्नि ओमप्रकाश के नाम उक्त तीनों खेताय का हिस्सा अलग कर दिया, जबकि मौके पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 रूकमा का मौके पर कभी कब्जा काश्त व हक अधिकार उक्त तीनों खेतों में नहीं रहा।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर नामान्तरकरण संख्या 7544 स्वीकृत करने में वाक्याती व तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे म्यूटेशन संख्या 7544 ग्राम रूण का काबिल अपास्त किए जाने का है।

{2}(III)– अधीनस्थ न्यायालय के म्यूटेशन स्वीकृति दिनांक 12.07.2022 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में विचाराधीन होते हुए नामान्तरण स्वीकृत किया है, जिसमें अपीलांट को नोटिस भी नहीं दिया गया, ना ही रेस्पोडेंट संख्या 2 से 11 को विधिवत् कोई सूचना दी गई, केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 3196, 3150, 3178 मौजा रूण का गलत रूप से विभाजन दर्शाकर अपना हक हिस्सा अन्य किसी व्यक्ति को बेचान करने की नियत से सम्पूर्ण भू–भाग खुर्द–बुर्द करने की नियत से नामान्तरकरण संख्या 7544 दिनांक 12.07.2022 को स्वीकृत कराया है जो काबिल अपास्त किये जाने का है।

{2}(IV)– रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजस्व वाद भी गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत किया जिसमें भंवरलाल की एकमात्र वारिस शोभा पत्नि भंवरलाल को बताया है, जबकि भंवरलाल की दो पुत्रियां सुवा व कमला भी पक्षकार रही, और जीवित पुत्रियां है फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने गलत व झूठा दावा पेश कर विभाजन करवाया है, जो प्रथम दृष्टया अवैध होने से नामान्तरकरण संख्या 7544 दिनांक 12.07.2022 का काबिल अपास्त किये जाने का है।

{3}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील मुण्डवा के मौजा रूण के नामान्तरकरण सं. 7544 निर्णय दिनांक 12.07.2022 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार मुण्डवा ने उक्त नामान्तरकण सहायक कलक्टर नागौर के प्रार्थना पत्र संख्या 27/2012 में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.16 की पालना में स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार ने केवल सक्षम न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की है, न कि कोई नवीन या विवेकाधीन आदेश पारित किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है, जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये। उक्त नामान्तरकरण विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{4}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{5}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

५/५/–

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर